न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-272RAAJodhpur2023-145RTA223 Durjansingh Vs Ugamkanwar etc

दुर्जनसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम चामु तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. उगमकंवर पत्नी चैनसिंह
2. गंगासिंह पुत्र चैनसिंह
3. हीराराम पुत्र झूमरराम
4. हनवन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. गोपालकंवर पत्नी भंवरसिंह
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र उगमसिंह
7. गोविन्दसिंह पुत्र उगमसिंह
8. नारायणसिंह पुत्र उगमसिंह
9. निर्मलकंवर पत्नी उगमसिंह
10. गजेन्द्रसिंह पुत्र विरेन्द्रसिंह
11. समदरसिंह पुत्र हमीरसिंह
12. धीरकंवर पत्नी मोहनसिंह
13. भोमसिंह पुत्र मोहनसिंह
14. गोविन्दसिंह पुत्र मोहनसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण चामु तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

15. श्रीमान् तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 अप्रैल 2024 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 80/2014 उगमकंवर बनाम गंगासिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 15

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 02 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 80/2014 अनवान उगमकंवर बनाम गंगासिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम चामु तहसील सेखाला के खेत खसरा नम्बर 1407 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1407/1 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1407/2 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1396 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं० 1396/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा न० 1396/2 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा न० 1392 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा न० 1392/1 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा खसरा नं० 1392/2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 113 बीघा 6 बिस्वा के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2021 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार सेखाला से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार सेखाला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 अप्रैल 2023 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि धीरूकंवर, भोमसिंह, गोविन्दसिंह से खसरा नं० 1396/1 का सम्पूर्ण खसरा खरीद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया था तथा अपीलार्थी विवादित भूमि का सहखातेदार है। अपीलार्थी का नाम नाम अद्यतन जमाबन्दी में दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिस कारण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका। अपीलांट वाद में आवश्यक पक्षकार था तथा हितबद्ध पक्षकार होने के कारण हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी को हस्तगत मामले में हितबद्ध पक्षकार माना जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल ही में प्रत्यर्थीगण मौके पर आये तथा अपीलांट को अपनी फसल अवेरने से मना किया तथा धमकी दी कि वे उन्हें बेदखल कर कब्जा कर लेंगे। रेस्पोडेंट्स ने कहा कि उन्होंने सहायक कलेक्टर से बंटवाडे का आदेश प्राप्त कर लिया है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आलौच्य निर्णय व डिक्री की नकल हेतु दिनांक 20-07-2023 को आवेदन किया जो नकल तैयार होकर दिनांक 22-07-2023 को प्राप्त हुई, जिसे पढने पर प्रथम बार आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानबूझकर या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई देरी नहीं की गई है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे एवं अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने हेतु अन्दर म्याद शुमार की जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी में निवेदन किया कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। तहसीलदार सेखाला द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया है तथा न ही विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना तहसीलदार सेखाला द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार किया गया है। भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 80/2014 अनवान उगमकंवर बनाम गंगासिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 अप्रैल 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निर्णित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1396/1 रकबा 8.11 बीघा में से रकबा 02 बीघा भूमि का पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 15.09.2021 के जरिये रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार होने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी ठहरता है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं होने से उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार सेखाला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में नियमानुसार स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान् की उपस्थित में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जाकर केवल विभाजन प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किये गये है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी में सन् 2021 से पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार दर्ज है। तहसीलदार सेखाला द्वारा अद्यतन राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अद्यतन राजस्व रेकर्ड के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 80/2014 अनवान उगमकंवर बनाम गंगासिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 अप्रैल 2023 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1396/1 रकबा 1.3840 हैक्टेयर के संबंध में निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट को पक्षकार संयोजित करते हुए तहसीलदार सेखाला से खसरा नंबर 1396/1 के खातेदारों की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब कर, विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में खसरा नंबर 1396/1 के संबंध में पुनः अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर